भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 423

बुधवार, 5 फरवरी, 2020/16 माघ, 1941 (शक)

योजनाओं का क्रियान्वयन

423. डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा कितनी नई योजनाओं को लागू किया गया है; और

(ख) इन योजनाओं को लागू करने संबंधी राज्य-वार आंकड़े क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाएं नीचे दी गयी हैं:-

1. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)
2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम)
3. व्यापारियों, दुकानदारों और स्व:नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना
4. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), आम आदमी बीमा योजना के साथ विलीन
5. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
7. राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस)

(ख): इन योजनाओं की राज्यवार सांख्यिकी अनुबंध-I से अनुबंध-VI में अनुबद्ध की गई है।

****** *******

अनुबंध -I

योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 05.02.2020 को राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 423 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

आरंभ से दिसम्बर, 2019 तक पीएमआरपीवाई सांख्यिकी			
राज्य	**दिसम्बर, 2019 तक लाभान्वित पीएमआरपीवाई प्रतिष्ठान (संचयी)**	**दिसम्बर, 2019 तक लाभार्थियों की पीएमआरपीवाई संख्या (संचयी)**	**दिसम्बर, 2019 तक व्यय की गई पीएमआरपीवाई राशि लाख में (संचयी)**
आंध्र प्रदेश	3397	254860	17166.59
असम	467	11347	687.28
बिहार	996	127974	10052.78
चंडीगढ़	4591	194960	13094.10
छत्तीसगढ	3098	132270	8686.71
दिल्ली	6673	767698	44549.71
गोवा	583	26023	1445.64
गुजरात	14244	1067482	60155.70
हरियाणा	8876	991875	53091.18
हिमाचल प्रदेश	3003	130486	7246.72
झारखंड	1748	70116	4138.86
कर्नाटक	10333	1183439	75701.67
केरल	4410	207290	19813.39
मध्य प्रदेश	5912	347123	22356.86
महाराष्ट्र	17865	2168877	116288.18
ओडिशा	3003	142336	8857.68
पुडुचेरी	374	20289	1032.98
पंजाब	5620	197544	13808.93
राजस्थान	9457	462543	23458.23
तमिल नाडु	17246	1442738	86333.21
तेलंगाना	7181	706314	37891.52
उत्तर प्रदेश	15447	850706	55800.25
उत्तराखंड	3034	297651	13558.95
पश्चिम बंगाल	5299	367238	19003.43

अनुबंध –II

योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 05.02.2020 को राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 423 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत पंजीकरण की राज्यवार सांख्यिकी		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**17 जनवरी, 2020 तक की उपलब्धि**
1	हरियाणा	618857
2	छत्तीसगढ़	176683
3	गुजरात	364519
4	हिमाचल प्रदेश	37917
5	त्रिपुरा	19646
6	जम्मू और कश्मीर (लद्दाख सहित)	65181
7	महाराष्ट्र	577473
8	अण्डमान और निकोबार	1638
9	झारखंड	126542
10	ओडिशा	152709
11	उत्तराखंड	31432
12	दमन और दीव	741
13	उत्तर प्रदेश	568871
14	चंडीगढ़	2746
15	दादरा और नगर हवेली	705
16	आंध्र प्रदेश	82956
17	बिहार	173756
18	मध्य प्रदेश	116505
19	राजस्थान	97498
20	नगालैंड	2607
21	अरुणाचल प्रदेश	2234
22	कर्नाटक	76149
23	पंजाब	31157
24	मणिपुर	3500
25	पांडिचेरी	1154
26	तमिलनाडु	54431
27	तेलंगाना	29942
28	पश्चिम बंगाल	59626
29	मेघालय	2024
30	मिजोरम	552
31	गोवा	648
32	असम	15619
33	एनसीटी दिल्ली	7287
34	लक्षद्वीप	21
35	केरल	9283
36	सिक्किम	102

अनुबंध –III

योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 05.02.2020 को राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 423 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

एनपीएस व्यावसायिकों - राज्य वार लक्ष्य और उपलब्धियां		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**17 जनवरी, 2020 तक की उपलब्धि**
1	हरियाणा	833
2	छत्तीसगढ़	2948
3	गुजरात	2976
4	हिमाचल प्रदेश	59
5	त्रिपुरा	155
6	जम्मू और कश्मीर (लद्दाख सहित)	66
7	महाराष्ट्र	690
8	अण्डमान और निकोबार	82
9	झारखंड	332
10	ओडिशा	380
11	उत्तराखंड	693
12	दमन और दीव	15
13	उत्तर प्रदेश	7724
14	चंडीगढ़	1590
15	दादरा और नगर हवेली	4
16	आंध्र प्रदेश	4826
17	बिहार	646
18	मध्य प्रदेश	339
19	राजस्थान	594
20	नगालैंड	9
21	अरुणाचल प्रदेश	51
22	कर्नाटक	702
23	पंजाब	159
24	मणिपुर	15
25	पांडिचेरी	118
26	तमिलनाडु	320
27	तेलंगाना	271
28	पश्चिम बंगाल	320
29	मेघालय	26
30	गोवा	2
31	असम	386
32	एनसीटी दिल्ली	90
33	केरल	66

अनुबंध –IV

योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 05.02.2020 को राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 423 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

आम आदमी बीमा योजना के साथ विलीन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकरण			
राज्य	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20 (31.10.2019 तक)**
	पंजीकृत /सम्मिलित	**पंजीकृत /सम्मिलित**	**पंजीकृत /सम्मिलित**
आंध्र प्रदेश	2,24,29,958	2,28,78,971	2,25,65,848
असम	85,497	94,306	-
बिहार	78,799	12,86,909	-
छत्तीसगढ	4,55,303	15,06,099	-
हिमाचल प्रदेश	0	13,843	-
जम्मू और कश्मीर	52,450	20,753	-
झारखंड	2,34,268	5,33,597	-
कर्नाटक	16,83,382	24,16,272	-
केरल	8,34,037	6,07,630	78,997
नागालैंड	0	1,209	-
ओडिशा	2,70,780	13,08,310	-
राजस्थान	16,60,764	4,31,085	-
तमिल नाडु	0	18,224	-
उत्तर प्रदेश	5,93,613	30,97,412	-

अनुबंध –V

योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 05.02.2020 को राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 423 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

अटल बीमित कल्याण योजना का राज्यवार क्रियान्वयन (दिसम्बर, 2019 माह तक)			
क्र.सं.	**क्षेत्र का नाम (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)**	**मामलों की संख्या**	**व्यय की गई राशि**
1	आंध्र प्रदेश	3	21982
2	छत्तीसगढ़	1	12590
3	दिल्ली	2	16733
4	गुजरात	2	10558
5	हरियाणा	1	8542
6	हिमाचल प्रदेश	1	3205
7	कर्नाटक	1	4798
8	केरल	38	294212
9	महाराष्ट्र	4	20889
10	ओडिशा	1	6498
11	पंजाब	9	72130
12	राजस्थान	2	22243
13	तमिलनाडु	13	92443
14	तेलंगाना	4	24564
15	उत्तर प्रदेश	3	20110

अनुबंध-VI

योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 05.02.2020 को राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 423 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

राष्ट्रीय करियर सेवा		
क्र.सं.	**मापदंड**	**3 फरवरी, 2020 तक की संख्या**
1.	पंजीकृत सक्रिय नौकरी खोजने वाले	1.05 करोड़
2.	पंजीकृत सक्रिय नियोक्ता	52,260
3.	सक्रिय रिक्तियां	3.11 लाख
4.	जुटाई गई कुल रिक्तियां	65.74 लाख

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 432

बुधवार, 5 फरवरी, 2020 / 16 माघ, 1941 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि में दावा रहित खाते

432. श्री अहमद अशफाक करीम

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत और उसके बाद 31 मार्च, 2019 की तिथि तक बनाई गई योजनाओं में क्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितने खाते निष्क्रिय दावा रहित हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में कोई भी राशि दावा रहित नहीं है। तथापि, कर्मचारी भविष्य-निधि स्कीम, 1952 के पैराग्राफ 72(6) के अनुसार कतिपय खातों को 'निष्क्रिय खातों' के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। लेकिन ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार होते हैं।

इसके अलावा केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 11 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 1065(ई) के द्वारा ईपीएफ स्कीम, 1952 के पैराग्राफ 72(6) को संशोधित किया है। संशोधित परिभाषा के अनुसार ईपीएफ स्कीम, 1952 के अंतर्गत निष्क्रिय खातों का क्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

*   ****

अनुबंध

'कर्मचारी भविष्य निधि में दावा रहित खातों' से संबंधित श्री अहमद अशफाक करीम द्वारा दिनांक 05.02.2020 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 432 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

कार्यालय का नाम	**वित्तीय वर्ष 2017-18**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**
दिल्ली (उत्तर)	25406	23669
लक्ष्मी नागर	5676	5459
दिल्ली (दक्षिण)	16085	15471
हैदराबाद	22723	21836
कडप्पा	5962	5667
गुंटूर	4354	3998
निजामाबाद	6607	6383
विशाखापत्तनम	7260	6941
वारंगल	1594	1538
राजमुंदरी	2611	2379
पतनचेरू	2919	2857
कुकतपल्ली	5158	4774
करीमनगर	2262	1991
सिद्दीपेट	209	204
पटना	9245	5472
भागलपुर	1123	1047
मुजफ्फरपुर	3045	2575
रायपुर (छत्तीसगढ़)	7537	7197
गोवा	3351	3223
अहमदाबाद	15614	15219
सूरत	8419	6862
वडोदरा	7842	7544
राजकोट	9726	9410
वापी	4047	3913
नरोडा	2261	2164
वातवा	2572	2414

भड़ूच	3149	3046
फरीदाबाद	8455	8277
करनाल	5864	5589
रोहतक	2654	2260
गुडगाँव	16402	15029
शिमला	4594	4380
रांची	8383	8070
जमशेदपुर	4242	4145
बंगलौर	15062	14489
गुलबर्गा	3670	3525
हुबली	4550	4313
मंगलौर	9292	9135
मैसूर	3719	3529
बेल्लारी	1826	1705
चिकमंगलूर	1223	1148
पीनया	7887	7544
बोम्मासांद्रा	8482	7744
के आर पुरम (व्हाइटफिल्ड)	6565	6325
रायचूर	1001	964
शिमोगा	1424	1341
उडुप्पी	2426	2398
तिरुवनंतपुरम (त्रिवेन्द्रम)	5485	5177
कोजिकोड (कालीकट)	5541	5305
कन्नूर	8329	8210
कोच्चि (कोचिन)	15415	14844
कोट्टयम	4747	4525
कोल्लम	5113	3801
इंदौर	7860	7575
भोपाल	4905	4720
जबलपुर	6899	6636
उज्जैन	1389	1329
ग्वालियर	2400	2341
बांद्रा (मुंबई I)	21878	16193
औरंगाबाद	8265	8055

कोल्हापुर	5234	4668
नागपुर	14421	12742
नासिक	9637	8799
पुणे	34945	33895
सोलापुर	2210	2074
मलाड (कांदिवली)	16592	15486
धन्यवाद (मुंबई- II)	14719	14263
वाशी	8857	8436
अकोला	2151	2073
गुवाहाटी	4114	3676
अगरतला	1471	1204
शिलांग	672	609
तिनसुकिया	1949	1874
भुवनेश्वर	9509	9007
राउरकेला	8283	7895
बरहामपुर	1754	1638
क्योंझर	1847	1724
चंडीगढ़	10953	10590
अमृतसर	3357	3176
भटिंडा	5028	4608
लुधियाना	4854	4648
जालंधर	4158	3940
जयपुर	10457	10110
जोधपुर	2587	2377
कोटा	2096	2025
उदयपुर	3547	3368
चेन्नई	25746	24311
कोयंबत्तूर	23104	21840
मदुरै	17720	17087
सेलम	12085	11209
तिरुनेलवेली	7582	7316
तिरूची	7312	6666
वेल्लोर	11220	11016
अंबात्तुर	11821	11492

ताम्बरम	11032	10828
पांडिचेरी	5230	4566
नगरकोइल	2432	2254
कानपुर	5435	4980
आगरा	5589	5381
बरेली	2441	2227
गोरखपुर	1759	1612
लखनऊ	3989	3159
मेरठ	6897	6401
वाराणसी	3272	2917
नोएडा	7727	7541
देहरादून	7631	7461
हल्दवानी	4100	3901
कोलकाता	16475	15537
बैरकपुर (टीटागढ़)	4739	3898
हावड़ा	5328	4962
दार्जिलिंग	1539	1407
दुर्गापुर	3991	3632
जलपाईगुड़ी	18924	15225
पोर्ट ब्लेयर	370	362
सिलीगुड़ी	5519	5142
पार्क स्ट्रीट	6506	5835
जंगीपुर	4300	3722
सागर	1906	1843
इलाहाबाद	2208	2097
मैसूर रोड	3522	3412
कुल	**847557**	**790018**

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*31
बुधवार, 5 फरवरी, 2020/16 माघ, 1941 (शक)

बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर
संबंधी योजनाएं

*31. श्री राजमणि पटेलः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या सहित वर्षवार कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया, तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान निर्धारित/प्राप्त किए गए लक्ष्यों सहित देश में शिक्षित और अशिक्षित युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीमांत कामगारों के कौशल में वृद्धि करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किए गए उपायों सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

"बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर संबंधी योजनाएं" के संबंध में श्री राजमणि पटेलः द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *31 के लिए दिनांक 05.02.2020 को दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क से ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। देश में इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे उपलब्ध सीमा तक अनुबंध- I, II, III एवं IV में दिए गए हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक राज्य-वार अनुमानित बेरोजगारी दर जिसमें शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति भी शामिल है अनुबंध-V में दी गई है।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 से अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। 17.01.2020 तक पीएमकेवीवाई के तहत देश भर में 16.6 लाख (लगभग) अभ्यर्थी नियोजित हो चुके हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

*****

अनुबंध -I

राज्य सभा के दिनांक 05.02.2020 के तारांकित प्रश्न संख्या *31 के भाग (क से ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सृजित रोजगार का राज्य /संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)			
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20#**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1398	1744	1832	216
2.	आंध्र प्रदेश	14148	12216	17760	8200
3.	अरुणाचल प्रदेश	1984	1672	2240	896
4.	असम	31498	18256	29896	7216
5.	बिहार	25872	18456	26424	6224
6.	चंडीगढ़	376	360	224	72
7.	छत्तीसगढ़	12856	11704	24752	8432
8.	दिल्ली	952	920	1056	368
9.	गोवा	660	400	624	312
10.	गुजरात*	11629	15008	28000	19032
11.	हरियाणा	11016	13744	17320	6752
12.	हिमाचल प्रदेश	6916	7088	11192	5456
13.	जम्मू और कश्मीर	11691	30024	60232	17488
14.	झारखंड	10400	8888	14376	3856
15.	कर्नाटक	30286	16920	29256	13800
16.	केरल	13068	10776	19888	8064
17.	मध्य प्रदेश	15520	14432	20208	5552
18.	महाराष्ट्र**	17799	26632	45136	16992
19.	मणिपुर	8419	4800	10328	2680
20.	मेघालय	2632	600	3120	1072
21.	मिजोरम	3400	1992	8984	2144
22.	नागालैंड	7783	7440	9664	1992
23.	ओडिशा	20392	19192	24560	6688
24.	पुडुचेरी	699	352	608	264
25.	पंजाब	9858	12160	14408	6488
26.	राजस्थान	13408	12614	18872	8632
27.	सिक्किम	201	296	440	256
28.	तमिलनाडु	25764	32760	41480	17192
29.	तेलंगाना	6445	9520	16408	7776
30.	त्रिपुरा	17961	8928	9432	1712
31.	उत्तर प्रदेश	36315	43456	41944	12656
32.	उत्तराखंड	9890	12904	17448	5136
33.	पश्चिम बंगाल	26604	10928	19304	8224
	योग	**407840**	**387182**	**587416**	**211840**

स्रोतः सूक्ष्मलघू एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ,

* दमन एवं दीव सहित

** दादर एवं नगर हवेली सहित

#अक्तूबर, 2019 तक

अनुबंध -II

राज्य सभा के दिनांक 05.02.2020 के तारांकित प्रश्न संख्या *31 के भाग (क से ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत सृजित मानव दिवस राज्य /संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

		सृजित मानव दिवस (करोड़ में)			
क्र.सं.	राज्य	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20#**
1	आंध्र प्रदेश	20.59	21.21	24.65	15.78
2	अरुणाचल प्रदेश	0.85	0.43	0.69	0.58
3	असम	4.66	4.81	5.33	4.60
4	बिहार	8.58	8.17	12.34	10.35
5	छत्तीसगढ़	8.86	11.99	13.86	10.35
6	गोवा	0.013	0.010	0.0015	0.002
7	गुजरात	2.71	3.53	4.20	2.81
8	हरियाणा	0.85	0.90	0.78	0.66
9	हिमाचल प्रदेश	2.37	2.20	2.85	2.01
10	जम्मू और कश्मीर	3.16	3.71	3.69	1.53
11	झारखंड	7.07	5.93	5.37	5.43
12	कर्नाटक	9.14	8.57	10.45	9.39
13	केरल	6.85	6.20	9.75	6.16
14	मध्य प्रदेश	11.30	16.22	20.30	16.04
15	महाराष्ट्र	7.09	8.25	8.46	4.96
16	मणिपुर	1.19	0.61	1.17	1.63
17	मेघालय	2.83	2.92	3.42	2.40
18	मिजोरम	1.68	1.44	1.81	1.68
19	नागालैंड	2.91	2.00	1.33	0.96
20	ओडिशा	7.74	9.22	8.31	8.01
21	पंजाब	1.58	2.23	2.04	1.95
22	राजस्थान	25.97	23.98	29.42	28.04
23	सिक्किम	0.46	0.35	0.34	0.22
24	तमिलनाडु	39.99	23.89	25.77	21.04
25	तेलंगाना	10.82	11.48	11.77	9.75
26	त्रिपुरा	4.61	1.76	2.53	2.78
27	उत्तर प्रदेश	15.75	18.15	21.22	20.44
28	उत्तराखंड	2.37	2.23	2.22	1.34
29	पश्चिम बंगाल	23.56	31.26	33.83	16.65
30	अंडमान और निकोबार	0.04	0.02	0.02	0.02
31	लक्षद्वीप	0.00001	0.0006	0.0010	0.0003
32	पुडुचेरी	0.05	0.07	0.07	0.06
	योग	**235.64**	**233.74**	**267.99**	**207.62**

स्रोतः ग्रमीण विकास मंत्रालय

#दिसम्बर, 2019 तक

अनुबंध - III

राज्य सभा के दिनांक 05.02.2020 के तारांकित प्रश्न संख्या *31 के भाग (क से ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पं. दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई)के तहत प्रशिक्षण के बाद रोजगार में रखे गए अभ्यर्थियों की कुल संख्या का राज्यवार विवरण।

		प्रशिक्षण के बाद रोजगार में रखे गए उम्मीदवारों की संख्या			
क्र.सं.	राज्य	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20***
1.	आंध्र प्रदेश	18966	10954	24894	6106
2.	असम	1479	3464	7397	11842
3.	बिहार	4216	4859	5851	4381
4.	छत्तीसगढ़	1987	539	2583	3396
5.	गुजरात	2075	160	1482	1896
6.	हरियाणा	586	5832	3596	5657
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	526	651
8.	जम्मू और कश्मीर	6453	1424	631	1203
9.	झारखंड	2355	2375	3585	6681
10.	कर्नाटक	4432	4752	5411	5048
11.	केरल	5598	4175	9656	5751
12.	मध्य प्रदेश	3546	1823	2094	1732
13.	महाराष्ट्र	3694	7390	4500	7113
14.	मणिपुर	0	0	0	466
15.	मेघालय	0	0	253	424
16.	मिजोरम	0	0	0	302
17.	नागालैंड	0	0	0	353
18.	ओडिशा	45726	14035	31481	26072
19.	पंजाब	0	563	1443	972
20.	राजस्थान	3397	693	3381	4338
21.	सिक्किम	70	0	64	32
22.	तमिलनाडु	30780	765	185	1958
23.	तेलंगाना	9150	9048	15604	6131
24.	त्रिपुरा	342	526	2093	304
25.	उत्तर प्रदेश	2052	892	4839	4701
26.	उत्तराखंड	0	0	253	551
27.	पश्चिम बंगाल	979	1518	3700	2801
	योग	**147883**	**75787**	**135502**	**110862**

स्रोतः ग्रमीण विकास मंत्रालय

*दिसम्बर, 2019 तक

<u>अनुबंध -IV</u>

राज्य सभा के दिनांक 05.02.2020 के तारांकित प्रश्न संख्या *31 के भाग (क से ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत नियोजन का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	नियोजन किए गए कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या			
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20***
1	आंध्र प्रदेश	35882	12010	54610	6
2	अरुणाचल प्रदेश	0	113	622	1
3	असम	293	1284	452	426
4	बिहार	176	1546	826	625
5	छत्तीसगढ़	5858	6476	5182	1041
6	गोवा	66	639	1255	27
7	गुजरात	3920	6388	13213	2727
8	हरियाणा	0	685	2945	336
9	हिमाचल प्रदेश	86	100	417	100
10	जम्मू और कश्मीर	0	25	115	84
11	झारखंड	2700	20795	6859	827
12	कर्नाटक	637	898	0	0
13	केरल	443	2413	4509	1392
14	मध्य प्रदेश	38060	3039	32501	2784
15	महाराष्ट्र	11768	6083	29227	25715
16	मणिपुर	0	0	109	90
17	मेघालय	317	111	210	0
18	मिजोरम	147	91	1433	564
19	नागालैंड	341	1749	0	0
20	ओडिशा	2467	776	0	0
21	पंजाब	0	1139	1473	1176
22	राजस्थान	0	33	2725	1009
23	सिक्किम	0	0	248	0
24	तमिलनाडु	0	1156	2963	170
25	तेलंगाना	1861	10013	5070	989
26	त्रिपुरा	0	2	228	6
27	उत्तर प्रदेश	42174	30058	738	234
28	उत्तराखंड	1731	0	1076	77
29	पश्चिम बंगाल	2691	6919	8954	3554
30	चंडीगढ़	283	875	262	106
31	दिल्ली	0	0	21	0
	योग	**151901**	**115416**	**178243**	**44066**

स्रोत: आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

*** 27-01-2020 को**

अनुबंध -V

राज्य सभा के दिनांक 05.02.2020 के तारांकित प्रश्न संख्या *31 के भाग (क से ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की उपलब्ध सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर सीमा तक बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)		
		श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण		एनएसओ (पीएलएफएस) के सर्वेक्षण
		2013-14	**2015-16**	**2017-18**
1.	आंध्र प्रदेश	2.9	3.5	4.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.7	3.9	5.8
3.	असम	2.9	4.0	7.9
4.	बिहार	5.6	4.4	7.0
5.	छत्तीसगढ़	2.1	1.2	3.3
6.	दिल्ली	4.4	3.1	9.4
7.	गोवा	9.6	9.0	13.9
8.	गुजरात	0.8	0.6	4.8
9.	हरियाणा	2.9	3.3	8.4
10.	हिमाचल प्रदेश	1.8	10.2	5.5
11.	जम्मू और कश्मीर	8.2	6.6	5.4
12.	झारखंड	1.8	2.2	7.5
13.	कर्नाटक	1.7	1.4	4.8
14.	केरल	9.3	10.6	11.4
15.	मध्य प्रदेश	2.3	3.0	4.3
16.	महाराष्ट्र	2.2	1.5	4.8
17.	मणिपुर	3.4	3.4	11.5
18.	मेघालय	2.6	4.0	1.6
19.	मिजोरम	2.0	1.5	10.1
20.	नागालैंड	6.7	5.6	21.4
21.	ओडिशा	4.3	3.8	7.1
22.	पंजाब	5.4	5.8	7.7
23.	राजस्थान	3.1	2.5	5.0
24.	सिक्किम	7.1	8.9	3.5
25.	तमिलनाडु	3.3	3.8	7.5
26.	तेलंगाना	3.1	2.7	7.6
27.	त्रिपुरा	6.2	10.0	6.8
28.	उत्तराखंड	5.5	6.1	7.6
29.	उत्तर प्रदेश	4.0	5.8	6.2
30.	पश्चिम बंगाल	4.2	3.6	4.6
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	13.0	12.0	15.8
32.	चंडीगढ़	2.8	3.4	9.0
33.	दादर और नगर हवेली	4.6	2.7	0.4
34.	दमन और दीव	6.6	0.3	3.1
35.	लक्षद्वीप	10.5	4.3	21.3
36.	पुडुचेरी	8.8	4.8	10.3
	अखिल भारत	**3.4**	**3.7**	**6.0**

स्रोत: 1. वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2017-18, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

2. रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण, श्रम ब्यूरो।

टिप्पणी: पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन अलग-अलग है।

RAJYA SABHA SUPPLEMENTRY QUESTION 251SESSION

प्रश्न संख्या 31

श्री राजमणि पटेल : माननीय उपसभापति महोदय, मैंने अपने प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा है कि शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार युवाओं की वर्षवार संख्या कितनी है? माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि अनुबंध-1 में सृजित रोजगार की संख्या की जानकारी दी गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि "सृजित" का क्या मतलब है? मैं जानना चाहता हूँ कि केवल पद सृजित किए गए हैं या इतने लोगों को रोजगार दिया गया है? अगर रोजगार दिया गया है, तो उनमें कितने शिक्षित बेरोजगार हैं, कितने अशिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी संख्या माननीय मंत्री जी बताएं?

श्री संतोष कुमार गंगवार : सर, माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार रोजगार के प्रति बहुत सक्रिय है और ऐसी योजनाएं चला रही है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हों? चाहे शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, इसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं और एक अच्छी प्रक्रिया चलाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि 2016-17 से अब तक "प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" के अंतर्गत 15 लाख, 94 हजार, "पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना" में 4 लाख, 70 हजार और "दीनदयाल अंत्योदय योजना" में 4 लाख, 90 हजार... यह जो योजनाएं मैं बता रहा हूँ, इसमें शिक्षित और अशिक्षित दोनों अपने हिसाब से शामिल हैं और हमारी सरकार जिस ढंग से काम कर रही है, उससे रोजगार के अवसर पैदा भी हो रहे हैं और लोगों को नौकरी भी मिल रही है।

श्री राजमणि पटेल : माननीय उपसभापति महोदय, मैं अनुबंध-3 में दी गई जानकारी के संबंध में माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि प्रदेशवार कितने-कितने अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा मध्य प्रदेश में रोजगार में रखे गए अभ्यर्थियों की संख्या लगातार क्यों घट रही है?

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं यह संख्या इकट्ठी करके आपके पास भिजवा दूँगा। सर, संख्या घटने का प्रश्न नहीं है। हम प्रशिक्षण दे रहे हैं और जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है।

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: Mr. Deputy Chairman, through you, I want to ask the hon. Minister in charge of the Labour Ministry one thing. In his reply, the hon. Minister stated that as per the Periodic Labour Force Survey by the Labour Bureau and the NSO, in 2013-14, the unemployment rate was 3.4 per cent; in 2015-16, the unemployment rate was 3.7 per cent; in 2017-18, it rose to 6 per cent and now in 2019-20, when we have just crossed over to 2020-21, it has reached 7.6 per cent. It is a serious situation in so far as unemployment scenario is concerned. The Government promised to provide two crore jobs per year in the last five years. What is your explanation?

श्री संतोष कुमार गंगवार : सर, सर्वे करने की इस प्रक्रिया में हम लोगों ने बदलाव किया था। सांख्यिकी मंत्रालय के National Statistics Office ने वार्षिक आधार पर एक नया unemployment survey वर्ष 2017-18 से शुरू किया और इस सर्वे को Periodic Labour Force Survey कहते हैं। इसका तरीका पहले के मुकाबले अलग है, भिन्न है। वर्ष 2017-18 के Periodic Labour Force Survey के अनुसार, भारत में labour force participation 36.9 तथा unemployment rate 6.1 है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस सर्वे के डेटा की कोई तुलना पहले के सर्वे से नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस सर्वे में sample size बदला हुआ है और वह एक बढ़ा हुआ sample size है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर इसका सर्वे कर रहे हैं। जैसा कि मैंने इस सर्वे का अब एक अलग तरीका बताया है, तो इस सर्वे के आधार पर वर्ष 2012-

13, 2013-14 और 2014-15 में जो रिपोर्ट आई थी, वह इससे भिन्न है। इस सर्वे की रिपोर्ट ही माननीय सदस्य द्वारा बताई गई है, तो मैं यह कह सकता हूँ कि वर्ष 2015-16 के बाद इस सर्वे की रिपोर्ट बन्द हो गई थी। अब PLFS सर्वे कर रहा है और मैं आशा करता हूँ कि वह काफी उचित एवं सही सर्वे आएगा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि हम इसमें पूरे तरीके से सक्रिय हैं, आपको सही जानकारी देना चाहते हैं और उसके हिसाब से कदम उठा रहे हैं। वर्ष 2015-16 के बाद हमारे पास अभी तक किसी भी सर्वे की पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, पूरी रिपोर्ट आते ही मैं आपको बताने का काम करूँगा।

SHRI MAJEED MEMON: Sir, contrary to the expectations of the people that this Government would generate two crore jobs every year, in the last year itself, there is a decline of one crore jobs overall. There is a report that India has lost one crore jobs during the last year, which is far from generating two crore jobs. Would the hon. Minister explain as to what are the causes and what are the curative measures that the Government wants to take?

श्री संतोष कुमार गंगवार : सर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम कई योजनाएँ चला रहे हैं, जिनके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। हम लोग infrastructure development पर फोकस करना और ease of doing business जैसे महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विश्व के 196 देशों में हमारी रैंकिंग, जो वर्ष 2014 में 142वें स्थान पर थी, उसमें अब 80 अंकों का सुधार हुआ है। यह आदरणीय प्रधान मंत्री जी की रुचि का भी सब्जेक्ट है और इसलिए वर्ष 2019 में हम लोग 63वें स्थान पर आ गए। यह इस बात का प्रतीक है कि वास्तव में हमारे यहाँ रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

मैं इन सारे प्रयासों के परिणाम के आधार पर यह कह सकता हूँ कि वर्ष 2006 से वर्ष 2014 तक बिज़नेस संस्थानों में ग्रोथ रेट जहाँ 3.8 परसेंट थी, वहीं अब उन बिज़नेस संस्थानों में ग्रोथ रेट बढ़कर 12.2 परसेंट हो गई है और यह संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। इसलिए मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि हम लोग entrepreneurship को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं।

श्री आर.के. सिन्हा : महोदय, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि बेरोजगारी के संबंध में डेटा कलेक्ट करने का अभी जो आपका सिस्टम है, वह बहुत ही दोषपूर्ण है और उसमें स्वरोजगार से उत्पन्न रोजगार नहीं आता, इसमें असंगठित क्षेत्र का रोजगार नहीं आता और इसमें बहुत सारे ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय सिन्हा जी, आप सुझाव देने के बजाय सवाल पूछिए।

श्री आर.के. सिन्हा : क्या माननीय मंत्री जी, इसमें सुधार करने का कोई विचार रखते हैं?

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, माननीय सदस्य इस विषय के अच्छे जानकार हैं और वे भी रोज़गार के अवसर कैसे मिलते हैं, उसकी चिंता में रहते हैं। हमारा माननीय सदस्य से व्यक्तिगत संपर्क होता रहता है, इसीलिए हमने सर्वे को लेकर बदलाव किया है कि अब हम एक सही authentic survey के आधार पर जानकारी देने का काम करना चाहते हैं। इसलिए जो पुराना सर्वे है, जिसकी रिपोर्ट वर्ष 2016-17 तक आयी थी, उसे रोका गया है। अब हम लोग नया सर्वे सांख्यिकी मंत्रालय के माध्यम से ला रहे हैं, जो और गहराई में जाकर, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर सर्वे कर रहा है। चूंकि सर्वे आने में समय लगता है, हम तुरंत एक रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। मुझे लगता है कि जो कमियां हैं, उनमें हम बदलाव करने का भी काम कर रहे हैं और सदस्यों को सही रिपोर्ट मिले, यह हमारी रुचि है।

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1542

बुधवार, 04 मार्च, 2020/14 फाल्गुन, 1941 (शक)

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बीमा लाभ

1542. श्री नारायण लाल पंचारिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बीमा लाभ प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को अंशदान करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत दो वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए बजट प्रावधान संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया।

जून, 2017 में, सरकार ने आम आदमी बीमा योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के साथ मिला दिया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) असंगठित कामगारों को बीमा कवर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 330 रुपये वार्षिक के प्रीमियम का भुगतान करने पर 2 लाख रूपये का जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। पीएमजेजेबीवाई 18-50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 12 रुपये वार्षिक के प्रीमियम का भुगतान करने पर दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण अपंगता के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज, आंशिक अपंगता के मामले में 1 लाख रुपये का बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाता है। यह स्कीम 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। लाभार्थियों के संबंध में निर्णय संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है । 342/-रुपये का कुल प्रीमियम राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच समान रूप से वहन किया जाता है।

पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई तथा पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु निधियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आबंटित नहीं की जाती हैं। तथापि, गत दो वर्षों के दौरान बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए एलआईसी द्वारा अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा निधि से पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई की सामाजिक सुरक्षा योजना पर हुआ खर्च निम्नानुसार है:

वर्ष	खर्च (करोड़ रुपये में)
2017-18	435.16
2018-19	587.52

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1547

बुधवार, 4 मार्च, 2020/14 फाल्गुन, 1941 (शक)

श्रम सुधार

1547. श्री सुशील कुमार गुप्ता:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने श्रम कानूनों के प्रवर्तन और सुधारों के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही लाने हेतु कोई पहल की है;

(ख) क्या सरकार ने प्रत्येक कामगारों को रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य के लिए भी कोई योजना बनाई है; और

(ग) रोजगार अवसरों के सृजन को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रतिष्ठान को सुचारू रूप से चलाने के संबंध में क्या पहल की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): श्रम कानूनों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है ताकि समय की मांग को पूरा करने के लिए विधायी और शासन प्रणाली को अद्यतन किया जा सके जिससे उसे अधिक प्रभावी, लचीला और उभरते आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य के अनुरूप बनाया जा सके। मंत्रालय ने विद्यमान केंद्रीय श्रम कानूनों के संगत उपबंधों को सरलीकृत, समामेलित एवं तर्कसंगत बनाकर चार श्रम संहिताओं अर्थात मजदूरी संबंधी संहिता; औद्योगिक संबंध संहिता; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाओं संबंधी संहिता और सामाजिक सुरक्षा संबंधी संहिता के प्रारूपण हेतु कदम उठाए हैं। इन 4 श्रम संहिताओं में से, मजदूरी संबंधी संहिता, 2019 को दिनांक 8 अगस्त, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। शेष तीन संहिताएं अर्थात व्यावसायिक सुरक्षा,

जारी–2/-

स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2019 और औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 तथा सामाजिक सुरक्षा, 2019 क्रमश: दिनांक 23 जुलाई, 2019, 28 नवम्बर, 2019 और 11 दिसम्बर, 2019 को लोक-सभा में पेश की गई थीं और इसके बाद श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति को जांच हेतु निर्दिष्ट की गईं थीं। श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2019 पर पहले से ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है।

साथ ही, श्रम कानूनों को लागू करने में पारदर्शिता और जबावदेही लाने के लिए सरकार द्वारा 16.10.2014 को "श्रम सुविधा पोर्टल" आरंभ किया गया है।

इसके अलावा, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के कार्यालय में जनवरी, 2020 में 'संतुष्ट' - कार्यान्वयन निगरानी प्रकोष्ठ (आईएमसी) का गठन किया गया है। 'संतुष्ट' का उद्देश्य सतत निगरानी के माध्यम से जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही, लोक सेवाओं की प्रभावी सुपुर्दगी को बढ़ावा देना तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की नीतियों और स्कीमों का कार्यान्वयन करना है।

(ख): व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2019 और सामाजितक सुरक्षा संहिता, 2019 कर्मचारियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाओं तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मामलों का निराकरण करेंगी।

(ग): श्रम कानूनों के चार श्रम संहिताओं में संहिताकरण का उद्देश्य विद्यमान केंद्रीय श्रम कानूनों के संगत उपबंधों को सरलीकृत, समामेलित एवं तर्क संगत बनाना है। लाइसेंस, पंजीकरण और रिटर्न और अन्य ऐसे विनियमनों से संबंधित उपबंधों का सरलीकरण, प्रतिष्ठानों के अनुपालन की लागत को काफी हदतक कम कर देगा जो और अधिक उद्यमों को स्थापित करने में बढ़ावा देगा, इस प्रकार देश में रोजगार के अवसरों के सृजन को उत्प्रेरित करेगा।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1550

बुधवार, 4 मार्च, 2020/14 फाल्गुन, 1941(शक)

अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों संबंधी डेटा बेस

1550. श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश का लगभग 90 प्रतिशत कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है जहां न्यूनतम मजदूरी या अन्य किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं, है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार अनौपचारिक क्षेत्र के सभी कामगारों का एक डेटाबेस बनाने और उनको सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इस तरह का डेटाबेस तैयार हो जाने की आशा है?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): असंगठित क्षेत्र के लिए समग्र रूप में अलग-से कोई प्रकाशित डेटा नहीं है। तथापि, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के अधीन अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कामगारों की न्यूनतम मजदूरी नियत करने, समीक्षा करने और परिशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। अधिनियम का कार्यान्वयन केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तर पर सुरक्षित किया जाता है।

कृषि क्षेत्र के कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। इस अधिनियम की अपेक्षा है कि असंगठित कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता छत्र, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित कोई अन्य लाभ; से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमें बनाई जाएं। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और अपंगता छत्र प्रदान किया जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें लाभार्थी पर कोई भार डाले बिना समान हिस्से में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करती हैं। स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभों को आयुष्मान भारत स्कीम के माध्यम से संबोधित किया जाता है। न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण के लिए, भारत सरकार ने असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम के रूप में फरवरी, 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) का सूत्रपात किया है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1553

बुधवार, 4 मार्च, 2020 / 14 फाल्गुन, 1941 (शक)

देश में पत्रकारों की कार्य स्थितियां

1553. श्रीमती झरना दास बैद्य:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पत्रकारों के वेतन, परिलब्धियां आदि सहित कार्य स्थितियों को शासित करने वाली संविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मी और पत्रकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम पेंशन योजना (योजनाओं) और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कवर किए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा-शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (डब्ल्यूजे अधिनियम) में अन्य बातों के साथ-साथ, इसके दायरे में श्रमजीवी पत्रकारों के नियोजन की शर्तें शामिल हैं।

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अंतर्गत नोटिस की न्यूनतम अवधि, उपदान, भविष्य निधि, औद्योगिक विवादों के समाधान, सवेतन अवकाश, कार्यघंटे तथा न्यूनतम मजदूरी के मामले देखे जाते हैं। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में समाचार-पत्र/समाचार एजेंसी के श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों के संबंध में वेतन की दरों के निर्धारण और संशोधन से संबंधित सिफारिशें देने हेतु वेतन बोर्डों की स्थापना का प्रावधान है।

सिफारिशों पर क्रियान्वयन करने का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का है। राज्य सरकारें मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजती हैं और वेतन बोर्डों की सिफारिशों पर त्वरित एवं तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य के श्रम प्रवर्तन तंत्र पर भी निगरानी रखती हैं। मंत्रालय में एक केन्द्रीय स्तर की निगरानी समिति है जो वेतन बोर्ड की सिफारिशों पर राज्यों द्वारा किए जाने वाले क्रियान्वयन पर निगरानी रखती है।

“श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा-शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955” को “व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य कामकाजी दशाएं संबंधी संहिता, 2019” में शामिल कर लिया गया है जिसे लोक सभा में 23.07.2019 को पुर:स्थापित किया गया था। व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य कामकाजी दशाएं संबंधी संहिता, 2019 में “श्रमजीवी पत्रकार” की परिभाषा के दायरे में न केवल वे पत्रकार आते हैं जो समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में नियोजित हैं, बल्कि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में नियोजित पत्रकार भी इसमें शामिल हैं।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1554

बुधवार, 4 मार्च, 2020/ 14 फाल्गुन, 1941 (शक)

ई.पी.एफ. पेंशनभोगियों की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु गठित समिति

1554. श्री सैयद नासिर हुसैन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशनभोगियों की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ईपीएफ पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार पेंशन के संराशीकरण के कारण संराशिकृत राशि की वसूली के बाद पेंशन राशि की वसूली को बंद करने का विचार भी रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): जी, हां। कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के सम्पूर्ण मूल्यांकन एवं समीक्षा हेतु सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने दिनांक 20.02.2020 की अधिसूचना सा.का.नि. 132(अ) द्वारा उन सदस्यों के संबंध में जिन्होंने 25 सितम्बर, 2008 को या उससे पहले इस स्कीम के पूर्ववर्ती अनुच्छेद 12 क के तहत पेंशन के संराशीकरण का लाभ उठाया है, ऐसे संराशीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष के पूर्ण होने के बाद सामान्य पेंशन बहाल करने की सिफारिश को क्रियान्वित किया है। हालांकि, उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति द्वारा यथा संस्तुत, ईपीएस, 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रूपये से बढ़ाकर 2,000 रूपये कर दिए जाने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*****

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1713

(दिनांक 05.03.2020 को उत्तर के लिए)

केन्द्रीय सेवाओं में रिक्त पद

1713 श्री सुशील कुमार गुप्ता :
डॉ. सांतनु सेन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार की लाखों नौकरियां/पद रिक्त पड़े हैं और सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं;

(ख) रिक्त पदों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और स्वीकृत पदों को न भरने के क्या कारण हैं;

(ग) विगत 10 वर्षों में समाप्त किए गए पदों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : व्यय विभाग की वेतन शोध इकाई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 01.03.2018 तक की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार की रिक्तियों के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है :

स्वीकृत कार्यबल	पदस्थ कर्मचारी	रिक्त पद
3802779	3118956	683823

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में दिनांक 01.03.2018 तक की स्थिति के अनुसार स्वीकृत पदों एवं पदस्थ कर्मचारियों का श्रेणी-वार विवरण संलग्नक-I में दिया गया है।

केंद्र सरकार में रिक्तियां सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, पदोन्नति आदि कारणों से होती हैं और रिक्त पदों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा तैयार किये गए भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाना अपेक्षित है। भर्ती एजेंसियों की कार्य योजना (एक्शन कैलेंडर) और वर्ष के दौरान मंत्रालयों/विभागों में हुई रिक्तियों के आधार पर रिक्त पदों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, तीन भर्ती एजेंसियां नामतः संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड ने निम्नलिखित पदों को भरे जाने के लिए सिफारिशें की हैं:-

यूपीएससी	4,399
एसएससी	13,995
आरआरबी	1,16,391
कुल	1,34,785

इसके अतिरिक्त, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, डाक सेवा बोर्ड जैसी भर्ती एजेंसियां रक्षा सिविलियन के 27652 रिक्त पदों सहित 3,10,832 निम्नलिखित रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया में है।

(ग) और (घ) : सरकार ने रिक्त पदों को भरे जाने के लिए समयोचित तथा अग्रिम कार्रवाई हेतु समय-समय पर अनुदेश जारी किये हैं। हाल ही में दिनांक 21.01.2020 के का.ज्ञा संख्या 43014/03/2019- स्था. (ख) के माध्यम से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में मौजूदा रिक्तियों को भरे जाने के लिए समयबद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए भर्ती एजेन्सियों ने कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को अपनाया है तथा अराजपत्रित पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है और उम्मीदवार के पूर्ववृत का सत्यापन लंबित होने की स्थिति में अनंतिम नियुक्ति प्रदान की जा रही है।

हालाँकि, समाप्त किये गए पदों के संबंध में केंद्रीकृत आंकड़ों का रख -रखाव नहीं किया जाता है।

संलग्नक-I

दिनांक 1.3.2018 तक की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के नियमित सिविल कर्मचारियों की समूह-वार और श्रेणी-वार (राजपत्रित/अराजपत्रित) आकलित संख्या											
क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	स्वीकृत पदों की संख्या					पदस्थ संख्या				
		क(राजपत्रित)	ख(राजपत्रित)	ख(अराजपत्रित)	ग	कुल	क(राजपत्रित)	ख(राजपत्रित)	ख(अराजपत्रित)	ग	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	17	8	10	14	**49**	16	7	6	7	**36**
2	कृषि और सहकारिता	636	533	599	4172	**5940**	421	354	395	2769	**3939**
3	पशुपालन और डेयरी	319	165	183	3194	**3861**	189	84	100	2024	**2397**
4	परमाणु ऊर्जा	11825	742	9730	14523	**36820**	11145	579	8626	10289	**30639**
5	आयुष	77	29	50	66	**222**	61	10	39	41	**151**
6	जैव प्रौद्योगिकी	72	40	49	86	**247**	53	23	40	56	**172**
7	मंत्रिमण्डल सचिवालय	65	51	100	143	**359**	60	45	83	112	**300**
8	रसायन, पेट्रो रसायन और औषध	70	45	65	209	**389**	60	39	62	165	**326**
9	नागर विमानन	808	85	559	947	**2399**	470	50	174	540	**1234**
10	कोयला	56	49	95	224	**424**	40	27	86	132	**285**
11	वाणिज्य	645	856	970	4200	**6671**	532	705	800	3462	**5499**
12	उपभोक्ता मामले	218	142	285	579	**1224**	170	110	158	364	**802**
13	कॉर्पोरेट कार्य	455	175	709	1202	**2541**	297	114	424	462	**1297**
14	संस्कृति	206	269	259	7128	**7862**	211	231	260	6973	**7675**
15	रक्षा (सिविल)	17405	38807	46132	483132	**585476**	17160	30576	28839	321847	**398422**
16	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	68	56	50	174	**348**	58	37	37	105	**237**
17	पेयजल और स्वच्छता	40	28	49	22	**139**	30	11	42	13	**96**
18	पृथ्वी विज्ञान	458	267	3840	2791	**7356**	250	83	2436	1504	**4273**
19	आर्थिक कार्य	376	183	238	665	**1462**	283	145	201	484	**1113**
20	पर्यावरण और वन	940	443	1038	2690	**5111**	732	233	544	1422	**2931**
21	व्यय	149	229	253	392	**1023**	111	166	190	178	**645**
22	विदेश मंत्रालय	2241	970	2425	2572	**8208**	2071	879	1774	2288	**7012**
23	उर्वरक	43	17	97	130	**287**	35	14	79	71	**199**
24	वित्तीय सेवाएं	299	51	495	855	**1700**	242	36	307	576	**1161**

25	खाद्य और सार्वजनिक वितरण	231	84	303	510	**1128**	182	69	228	341	**820**
26	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	57	34	35	65	**191**	50	21	20	50	**141**
27	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2357	658	1035	17264	**21314**	2357	658	1035	17264	**21314**
28	भारी उद्योग	50	40	51	120	**261**	43	24	38	75	**180**
29	उच्चतर शिक्षा	274	222	240	528	**1264**	184	108	229	406	**927**
30	गृह मंत्रालय	24780	17005	34600	944246	**1020631**	20540	13041	27766	886919	**948266**
31	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा	723	18642	24063	20930	**64358**	570	14594	16680	12873	**44717**
32	औद्योगिक नीति और संवर्धन	313	184	272	1998	**2767**	239	140	209	1533	**2121**
33	सूचना और प्रसारण	473	592	719	3959	**5743**	318	378	578	2408	**3682**
34	सूचना प्रौद्योगिकी	3831	602	508	1590	**6531**	3629	536	434	892	**5491**
35	निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन	26	13	21	13	**73**	24	6	14	12	**56**
36	श्रम और रोजगार	1170	412	1378	3808	**6768**	604	252	1040	2606	**4502**
37	भूमि संसाधन	36	33	22	31	**122**	30	11	12	24	**77**
38	विधि और न्याय	533	297	486	1254	**2570**	372	218	386	1002	**1978**
39	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	411	526	395	1638	**2970**	193	419	206	1002	**1820**
40	खान	4354	1000	3074	5627	**14055**	2796	619	1406	2753	**7574**
41	अल्पसंख्यक कार्य	64	31	62	88	**245**	42	19	46	73	**180**
42	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	124	54	33	85	**296**	77	21	37	77	**212**
43	पंचायती राज	32	23	30	39	**124**	20	15	19	13	**67**
44	संसदीय कार्य	24	21	45	59	**149**	22	12	35	50	**119**
45	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	1514	606	2538	6186	**10844**	1133	426	1774	5150	**8483**
46	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	57	64	72	104	**297**	45	50	64	55	**214**
47	योजना आयोग	245	135	132	192	**704**	186	104	108	180	**578**
48	डाक	621	354	8222	175221	**184418**	619	354	8222	175221	**184416**
49	विद्युत	532	96	628	600	**1856**	478	69	343	371	**1261**
50	राष्ट्रपति सचिवालय	37	41	68	200	**346**	26	39	63	143	**271**
51	प्रधानमंत्री कार्यालय	63	60	115	273	**511**	59	57	117	164	**397**
52	लोक उद्यम	33	13	22	51	**119**	26	9	11	23	**69**
53	रेलवे	13662	5318	620	1488094	**1507694**	11928	4032	565	1231800	**1248325**
54	राजस्व	12456	32395	34590	99492	**178933**	7848	25239	18022	49171	**100280**

55	सड़क परिवहन और राजमार्ग	303	62	180	198	**743**	286	50	154	150	**640**
56	ग्रामीण विकास	102	95	127	191	**515**	82	70	98	135	**385**
57	स्कूल शिक्षा और साक्षरता	86	72	122	166	**446**	72	45	105	110	**332**
58	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	592	789	291	10505	**12177**	264	569	1647	2704	**5184**
59	पोत परिवहन	371	156	620	1739	**2886**	203	154	427	1055	**1839**
60	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	142	103	227	234	**706**	108	75	170	207	**560**
61	अंतरिक्ष	7264	497	2703	4945	**15409**	7047	400	2380	2542	**12369**
62	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	1530	1841	2658	1262	**7291**	723	1599	1596	1165	**5083**
63	इस्पात	89	30	49	92	**260**	65	27	39	70	**201**
64	दूरसंचार	1056	1104	314	2154	**4628**	899	588	130	1106	**2723**
65	वस्त्र	260	201	853	3591	**4905**	172	149	467	1718	**2506**
66	पर्यटन	74	102	134	267	**577**	68	101	118	200	**487**
67	जनजातीय कार्य	76	42	47	145	**310**	60	31	41	109	**241**
68	संघ लोक सेवा आयोग	206	259	520	843	**1828**	161	129	433	555	**1278**
69	शहरी विकास	3323	831	5694	10407	**20255**	3101	992	4978	9044	**18115**
70	उपराष्ट्रपति सचिवालय	6	5	8	41	**60**	5	4	5	37	**51**
71	जल संसाधन	1742	1163	2678	5808	**11391**	1266	771	1426	3363	**6826**
72	महिला एवं बाल विकास	94	80	131	372	**677**	77	42	98	240	**457**
73	युवा कार्यक्रम और खेल	45	42	65	163	**315**	40	42	54	164	**300**
	कुल	**123932**	**131269**	**200080**	**3347498**	**3802779**	**104036**	**101936**	**139775**	**2773209**	**3118956**

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *186

बुधवार, 11 मार्च, 2020/ 21 फाल्गुन, 1941 (शक)

नैमित्तिक श्रमिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान किया जाना

***186. श्री राजमणि पटेल:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में नैमित्तिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न अधिनियमों और योजनाओं को लागू कर रही है;

(ख) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें नैमित्तिक श्रमिकों को उनकी यथोचित सामाजिक प्रतिष्ठा से वंचित किए जाने की जानकारी मिली है और यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में नैमित्तिक श्रमिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) संगठित और असंगठित क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान रखे गए नैमित्तिक/ठेका श्रमिकों की संख्या क्या है?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

नैमित्तिक श्रमिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने के संबंध में श्री राजमणि पटेल द्वारा दिनांक 11.03.2020 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न सख्या 186 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 कार्यान्वित क्षेत्रों में 10 या उससे अधिक व्यक्ति लगाने वाले कारखानों और प्रतिष्ठानों तथा संगठित क्षेत्र में ईएसआई अधिनियम के तहत पंजीकृत इकाई/ प्रतिष्ठान में प्रति माह 21000/- रूपये तक मजदूरी पाने वाले नियमित और अनियत दोनों प्रकार के कामगारों को कवर करता है।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 सभी अनुसूचित उद्योगों और संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में अनियत कामगारों सहित 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के अधिसूचित वर्ग पर लागू है। इस अधिनियम के तहत कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ निम्नलिखित तीन स्कीमों के माध्यम से प्रदान किया जाता है:-

i. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 - (1 नवंबर, 1952 से प्रभावी)
ii. कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 - (16 नवंबर, 1995 से प्रभावी)
iii. कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा स्कीम 1976 - (1 अगस्त, 1976 से प्रभावी)

उपरोक्त अधिनियमों में शामिल कामगार, उनमें यथा उपबंधित सामाजिक सुरक्षा लाभों के हकदार हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 या कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत प्रत्यक्ष, अनियत, संगठित कामगरों के बीच कोई अंतर नहीं है।

केन्द्रीय सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों (अनियत मजदूरों सहित उनकी पात्रता के अनुसार) को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में असंगठित कामगारों को (i) जीवन एवं अपंगता छत्र, (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण और (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य किसी लाभ से संबंधित मामलों में उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाने का उल्लेख किया गया है। असंठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन एवं अपंगता छत्र प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य एवं प्रसूति हितलाभ आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण के लिए श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना आरंभ की है, जो असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000/- रूपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

जारी...2/-

भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार (रोज़गार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 में भवन और अन्य सन्निर्माण कामगारों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी स्कीमें तैयार करने और लागू करने के लिए कल्याण बोर्डों के गठन का प्रावधान है।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के तहत जारी किए गए लाइसेंसों और पंजीकरण प्रमाण पत्र के आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों के दौरान लगाए गए ठेका श्रमिकों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्र के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत ठेका श्रमिकों की कुल संख्या
2017	1110603
2018	1178878
2019	1364377

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 195

बुधवार, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 (शक)

श्रम कानूनों को लागू किया जाना

***195. लेफ्टीनेंट जनरल (डा.) डी.पी.वत्स (सेवानिवृत्त):**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान असंगठित क्षेत्र के कामगारों को रोजगार सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा श्रम कानूनों को लागू करने और रोजगार की गुणवत्ता बढ़ाने में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिए कई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रम कानूनों को लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से अपेक्षित समर्थन मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

****

लेफ्टीनेंट जनरल (डा.) डी.पी.वत्स (सेवानिवृत्त) द्वारा श्रम कानूनों को लागू किया जाना के संबंध में दिनांक 11.03.2020 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 195 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): भारत सरकार ने अनुसूचित नियोजनों और मजदूरी के समय पर भुगतान/ भुगतान की पद्धति के लिए क्रमश: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और मजदूरी संदाय अधिनियम,1936 का अधिनियमन किया है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने, उनका पुनरीक्षण और लागू करने के लिए समुचित सरकारें हैं। इस अधिनियम का क्रियान्वयन अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में केन्द्र तथा राज्स सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों में इसका प्रवर्तन मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है जिन्हें सामान्य रूप से केन्द्रीय औद्योगिक संबद्ध मशीनरी (सीआईआरएम) के रूप में नामोदिष्ट किया जाता है। राज्य क्षेत्र में इसका अनुपालन राज्य प्रवर्तन मशीनरी द्वारा सुनश्चित किया जाता है। वे नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने या कम भुगतान करने के किसी भी मामले के पाए जाने की स्थिति में वे नियोजकों को मजदूरी के अंतर का भुगतान करने की सलाह देते हैं। गैर अनुपालन की स्थि ति में चूककर्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधानों का उपयोग किया जाता है।

सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों (अपनी पात्रता के अनुसार अनियत मजदूरों सहित) को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। इस अधिनियम की परिभाषा के अनुसार असंगठित कामगार को घरेलू आधारित कामगार, स्व-नियोजित कामगार या असंगठित क्षेत्र में मजदूरी कामगार के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें संगठित क्षेत्र का वह कामगार भी शामिल हें जो इन 6 अधिनियमों अर्थात (i) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम,1923, (ii) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, (iii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948, (iv) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियि,1952 (v) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम,1961 और (vii) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में कवर नहीं होता है। इस अधिनियम में असंगठित कामगारों को (i) जीवन एवं अपंगता छत्र, (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण और (iv) और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य किसी लाभ से संबंधित मामलों में उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाने का उल्लेख किया गया है। असंठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन एवं अपंगता छत्र प्रदान किया जाता है। स्वास्ब्य एवं प्रसूति हितलाभ आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से दिए जाते हैं।

मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) शुरू की है जो 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन देने के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है।

संबंधित राज्य सरकारें विभिन्न श्रम कानूनों का क्रियान्वयन और राज्य क्षेत्र में इन अधिनियमों के उचित क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र रूप से निरीक्षण कर रही हैं।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2026

बुधवार, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 (शक)

असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

2026. श्री नारायण राणे:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के जिलों के असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए कितने मजदूरों को शामिल किया गया है;

(ख) असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए कौन-कौन से मानदण्ड और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र के जिलों के असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करने हेतु उनकी पहचान की गई है एवं उनका पंजीकरण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए अब तक पहचाने गए और पंजीकरण किए गए मजदूरों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। इस अधिनियम में असंगठित कामगारों को (i) जीवन एवं अपंगता छत्र ,(ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ , (iii) वृद्धावस्था संरक्षण और (iv) और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य किसी लाभ से संबंधित मामलों में उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाने का उल्लेख किया गया है।

सरकार ने जून,2017 में आम आदमी बीमा योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) को मिला दिया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) असंगठित कामगारों को बीमा कवर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाता है। पीएमजेजेबीवाई 18-50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण अपंगता के

मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज, आंशिक अपंगता के मामले में 12 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने पर 1 लाख रुपये का बीमा कवरेज दिया जाता है। यह स्कीम 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। 342/- रुपये का कुल प्रीमियम राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच समान रूप से साझा किया जाता है।

मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) शुरू की है जो 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन देने के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है। 18-40 वर्ष के आयु समूह के वे असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15,000/- रुपये या इससे कम है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/राष्ट्रीय पेंशन स्कीम(सरकार द्वारा वित्तपोषित) के सदस्य नहीं हैं, इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा अंशदान देय होता है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। कोंकण प्रभाग में पीएमएसवाईएम के अंतर्गत कुल नामांकनों की संख्या निम्नलिखित है:

जिला	नामांकन
सिंधुदुर्ग	23029
ठाणे	14860
पालघर	14174
मुम्बई उपशहरी	2157
मुम्बई	1557
रत्नागिरि	19422
रायगढ़	25944
कुल	101143

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2028

बुधवार, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 (शक)

निर्माण कार्य में लगे कामगारों की स्थिति

2028. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्माण क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 20 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2018 में लगभग 50 मिलियन हो गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2018 से 2020 के बीच निर्माण कार्य में कार्यरत कामगारों की स्थिति क्या है;

(ग) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार निर्माण कार्य में कार्यरत कामगारों की संरक्षा कर रही है;

(घ) क्या यह सच है कि उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार उन्हें सामाजिक सुरक्षा नेट प्रदान करने की योजना बना रही है; और

(च) निर्माण कार्य में कार्यरत कामगारों के कल्याण और भलाई हेतु भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड क्या भूमिका निभा रहा है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 में राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को अधिदेश दिया जाता है कि वे अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत प्रत्येक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार को राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के कल्याणकारी बोर्ड की निधि के लाभार्थी के रूप में पंजीकृत करें। राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर वर्ष 2018 और 2019 में सन्निर्माण कामगारों की संचयी संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	सन्निर्माण कामगारों की संख्या
2018	3,23,90,187
2019	3,92,17,369

जारी---2/-

(ग) से (ङ): भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के नियोजन और सेवा शर्तों को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के उपाय करने तथा इससे संबंधित अथवा इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए भवन एवं सन्निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 का अधिनियमन किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत, राज्य सरकार/संघ राज्य-क्षेत्र की सरकार तथा राज्य कल्याण बोर्ड, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाने और कार्यान्वित करने के लिए अधिदेशित हैं।

केन्द्रीय सरकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी उपायों का प्रावधान करने के लिए अधिनियम के उपबंधों के संबंध में उपकर निधि के उचित उपयोग हेतु समय-समय पर राज्यसरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासनों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 60 के अंतर्गत दिशा-निर्देश जारी करती रही है।

(च): भवन एवं सन्निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 18 के अंतर्गत गठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अधिनियम की धारा 22 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कार्य करते हैं:-

(क) दुर्घटना के मामले में लाभार्थी को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए;
(ख) साठ वर्ष की आयु पूरी कर चुके लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान करने के लिए;
(ग) मकानों के निर्माण के लिए लाभार्थी को यथा विहित अनधिक राशि तथा निबंधन और शर्तों पर ऋणों और अग्रिम राशियों की संस्वीकृति देने के लिए;
(घ) लाभार्थियों की समूह बीमा योजना के लिए यथा विहित प्रीमियम का भुगतान करने के लिए;
(ङ) लाभार्थियों की संतानों की शिक्षा के लिए यथा विहित वित्तीय सहायता देने के लिए;
(च) लाभार्थी अथवा यथा विहित आश्रितजन के लिए गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु चिकित्सा व्ययों को पूरा करने के लिए;
(छ) महिला लाभार्थियों को प्रसूति लाभ का भुगतान करने के लिए; तथा
(ज) यथा विहित ऐसे अन्य कल्याणकारी उपायों और सुविधाओं के प्रावधान और सुधार।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2032

बुधवार, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को योगदान

2032. श्री दिग्विजय सिंह:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सांविधिक योगदान क्या है और सरकार पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कुल कितनी धनराशि बकाया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को कर्मचारी पैंशन योजना, 1995 के अंतर्गत भारत सरकार के 1.16 प्रतिशत के सांविधिक अंशदान के रूप में जारी की गई धनराशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	जारी निधियां *(रूपये करोड़ में)*
2014-15	2,299.80
2015-16	3,030.20
2016-17	3,525.00
2017-18	4,040.18
2018-19	3,900.00
2019-20	3,600.00 (आदिनांक)

आज की तारीख में संचयी रूप से 10,663.66 करोड़ रूपये की धनराशि (अनंतिम) बकाया है।

*****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 200

(दिनांक 12.03.2020 को उत्तर के लिए)

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट

***200. श्री रेवती रमन सिंहः**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी नौकरियों में रिक्त पदों को भरने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट देने का विचार रखती है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 12.03.2020 को उत्तर दिए जाने हेतु श्री रेवती रमन सिंह द्वारा पूछे गए 'सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट' से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 200 (स्थिति 5वीं) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

सरकार ने दिनांक 21.01.2020 को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों, उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में मौजूदा रिक्तियों को समयबद्ध रूप से भरने के लिए अनुदेश दिए हैं।

2. केंद्र सरकार के अधीन सीधी भर्ती के आधार पर भरे जाने वाले सिविल पदों हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में छूट देने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****

भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *204

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

22 फाल्गुन, 1941 (शक)

सेवाएं/सुविधाएं जिनके लिए आधार कार्ड अनिवार्य है

***204. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन सेवाओं/सुविधाओं के नाम क्या–क्या हैं, जिनके लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है;

(ख) उन सेवाओं/सुविधाओं के नाम क्या–क्या हैं, जिनके लिए सरकार आधार को आगे और अनिवार्य बनाने का विचार रखती है;

(ग) क्या सरकार मतदाता पहचान पत्र की तरह आधार का उपयोग करने या आधार को मतदाता सूची से जोड़ने का विचार रखती है; और

(घ) क्या सरकार "वन नेशन, वन आईडी कार्ड" (एक राष्ट्र, एक पहचान पत्र) लाने का विचार रखती है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) से **(घ)** : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

सेवाएं/सुविधाएं जिनके लिए आधार कार्ड अनिवार्य है के संबंध में दिनांक 12.3.2020 को राज्य सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *204 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

(क) और **(ख)** : आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अनुसार केंद्र सरकार या जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार किसी सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति, जिसके लिए व्यय भारत की समेकित निधि से किया जाता है अथवा उसकी प्राप्ति भारत की समेकित निधि अथवा राज्य की समेकित निधि के भाग से की जाती है, के लिए एक शर्त के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन से यह अनिवार्य कर सकती है कि ऐसे व्यक्ति का अधिप्रमाणन किया जाए या ऐसा व्यक्ति आधार संख्या होने का साक्ष्य प्रस्तुत करे अथवा यदि किसी व्यक्ति के पास पहचान के प्रमाण के तौर पर आधार संख्या नहीं है तो वह आधार में अपना नामांकन कराने के लिए आवेदन करे:

बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है तो उसे सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्रदायगी के लिए पहचान का कोई अन्य वैकल्पिक और व्यवहार्य विकल्प दिया जाएगा ।

तदनुसार विभिन्न मंत्रालय, राज्य सरकार के विभाग आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के अंतर्गत विभिन्न सब्सिडी, लाभों और सेवाओं की प्रदायगी के लिए अधिसूचनाएँ जारी करते हैं। 29 फरवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार अन्य के साथ-साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, छात्रवृत्ति योजनाओं, मनरेगा, उर्वरक सब्सिडी, एनएसएपी, पीएमएवाई इत्यादि सहित विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा जारी की गई 299 योजनाओं को शामिल करते हुए कुल 164 अधिसूचनाएँ जारी की गई हैं।

इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा यथाविहित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139कक में प्रावाधान किया गया है कि 1 जुलाई, 2017 से आयकर विवरणी भरने और स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए आवेदन करते समय आधार संख्या अथवा आधार आवेदन प्रपत्र की नामांकन आईडी उद्धरित करना अनिवार्य है।

(ग) : विधायी विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार निर्वाचन नामावली को डेटा आधार प्रणाली से लिंक करने में समक्ष बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनयम, 1951 में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है जिससे कि त्रुटि रहित निर्वाचन नामावली तैयार की जा सके और प्रविष्टियां की पुनरावृति को रोका जा सके।

(घ) : भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार गृह मंत्रालय के पास वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2603
जिसका उत्तर 17 मार्च, 2020/27 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया गया

निजी क्षेत्र में न्यूनतम पेंशन

2603. प्रो० मनोज कुमार झाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को न्यूनतम पेंशन देने के संबंध में कोई सीमा निर्धारित की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उक्त सीमा को बढ़ाने और ऐसे निजी क्षेत्र के लिए मौजूदा पेंशन योजना की समीक्षा भी करने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे पेंशनभोगियों पर महंगाई भत्ता भी लागू है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार नई पेंशन योजना में शामिल होने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों को सक्षम बनाने के लिए नियमों में छूट देने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): जैसा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत, व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजटीय सहायता उपलब्ध करा कर दिनांक 1.9.2014 से न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया है। वर्तमान में, ईपीएस, 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ): जैसा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, ईपीएस, 1995 के अंतर्गत महँगाई भत्ता देने का प्रावधान नहीं हैं।

(ड.): राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को 1 जनवरी, 2004 से आरंभ किया गया था। केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) सहित सभी कॉर्पोरेट्स/नियोक्ता स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस को अपना सकते हैं; लगभग 25 सीपीएसई ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2819

बुधवार, 18 मार्च, 2020/28 फाल्गुन, 1941 (शक)

लंबित परियोजनाएं/योजनाएं

2819. श्री विनय दीनू तेंदुलकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई योजनाओं/ परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) मंत्रालय के पास लंबित गोवा राज्य सरकार से प्राप्त परियोजनाओं/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई योजनाओं/ परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध में हैं।

(ख): राष्ट्रीय केरियर सेवा के अंतर्गत आदर्श केरियर केंद्र स्थापित करने के लिए गोवा राज्य सरकार से केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अनुमोदित किया गया था। गोवा राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जो लंबित हो।

* ******

<u>अनुबंध</u>

लंबित परियोजनाओं/योजनाओं के संबंध में श्री विनय दीनू तेंदुलकर द्वारा पूछे गए 18.03.2020 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2819 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई योजनाओं/ परियोजनाओं का ब्यौरा

1. **स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान तथा बंधुआ मजदूरों को सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) :**

(क) **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी):** बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु 1988 से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना कार्यान्वयन की जा रही है। 9-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चे काम से बचाए/छुड़ाए जाते हैं तथा एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित किए जाते हैं, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाने से पहले समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याहन भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख, आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। 5-8 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के निकट समन्वय के माध्यम से औपचारिक शिक्षा पद्धति से सीधा जोड़ा जाता है।

बाल श्रम अधिनियम के उपबंधों का कारगर प्रवर्तन और एनसीएलपी योजना का सहज कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, पेन्सिल (प्लेटफार्म फार इफेक्टिव इनफोर्समेंट फार नो चाइल्ड लेबर) नामक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।

(ख): **स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान तथा बंधुआ मजदूरों को सहायता की प्रतिपूर्ति:** केंद्रीय सरकार ने बंधुआ श्रमिक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, 2016 कार्यान्वित की है जिसके अंतर्गत क्रमश: 1.00 लाख रूपये, 2.00 लाख रूपये और 3.00 लाख रूपये की वित्तीय सहायता निम्नलिखित गैर-नकदी सहायता के साथ मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को उनकी श्रेणी और शोषण के स्तर के आधार पर प्रदान की जा रही है:

(i) मकान - स्थल और कृषि भूमि का आबंटन।
(ii) भूमि विकास।
(iii) कम लागत की रिहायशी इकाइयों का प्रावधान।

(iv) पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री, पिग्गरी आदि।

(v) मजदूरी - रोजगार, न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन आदि।

(vi) छोटे मोटे वन उत्पादों का संग्रहण एवं प्रसंस्करण।

(vii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति तथा

(viii) बच्चों के लिए शिक्षा।

2. **समेकित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई):** याह योजना असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन एवं नि:शक्तता कवर प्रदान करने हेतु जून, 2017 से कार्यान्वित की गई है।

3. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम): यह असंगठित कामगारों एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के वे असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या इससे कम है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन / कर्मचारी राज्य बीमा निगम / राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के सदस्य नहीं हैं, इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा अंशदान देय है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समान मैचिंग अंशदान का भुगतान किया जाता है।

4. व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना: यह 18 से 40 वर्ष आयु समूह के उन व्यापारियों के लिए स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है और जो ईपीएफओ / ईएसआईसी / एनपीएस / पीएम - एसवाईएम के सदस्य नहीं हैं या आयकर दाता नहीं है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान देना होता है और इतना ही अंशदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। अंशदाता, 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर 3000/- रूपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन के पात्र हो जाते हैं।

5. **राष्ट्रीय श्रम संस्थान:** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान, वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) श्रम अनुसंधान, प्रशिक्षण

और श्रम तथा संबद्ध मुद्दों के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है। यह संस्थान विभिन्न श्रम से संबद्ध मुद्दों पर विभिन्न अनुसंधान अध्ययन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

6. **खान सुरक्षा महानिदेशालय की प्रणाली और अबसंरचना का सुंदृढीकरण (एसएसआईडी):** यह योजना चालू दो योजनाओं अर्थात (i) "खान सुरक्षा महानिदेशालय के महत्वपूर्ण कार्यों का सुंदृढीकरण (एसओसीएफओडी)", और (ii) "खान दुर्घटना विश्लेषण और सूचना डेटाबेस का आधुनिकीकरण (एमएएमआईडी)" को मिलाकरके बनाई गई है।

इस योजना के उद्देश्य ये हैं:

(i) खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) में योजनाओं, छोड़ी गई खान योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के डिजीटीकरण सहित ई-शासन कार्यान्वित करना;

(ii) कोयला और गैर-कोयला खानों के संबंध में जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली कार्यान्वित करना;

(iii) डीजीएमएस के क्षेत्र अधिकारियों को वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना;

(iv) डीजीएमएस के लिए सभी प्रकार की अवसंरचना और उसकी बैकअप सहायता का विकास एवं रखरखाव;

(v) खनन उद्योग को आवश्यकता आधारित बचाव एवं आपात प्रतिक्रिया दिशानिर्देशों का विकास, सुधार और अद्यतनीकरण;

(vi) दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से खानों में आपदाओं और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना तथा तदनुसार प्रोत्साहनात्मक चैनलों को सक्रिय करना ;

(vii) इलैक्ट्रॉनिक के साथ ही अन्य पारंपरिक मीडिया पर विभिन्न रिपोर्टों, तकनीकी अनुदेशों / दिशानिर्देशों, परिपत्रों के माध्यम से खान संबंधी सूचना प्रसारित करना;

(viii) खानों में आवश्यकता आधारित सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण आयोजित करना;

(ix) डिजीटल रिकॉड प्रबंधन प्रणाली सहित ई-आधारित परीक्षा प्रणालियां आरंभ करना, कार्यान्वित करना और सहायता करना;

(x) डीजीएमएस अधिकारियों और खनन उद्योग के महत्वपूर्ण कार्मिकों को संरचित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु डीजीएमएस में प्रशिक्षण सुविधाएं अद्यतन करना;

(xi) खानों में प्रचालनों के मार्गदर्शन हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नयाचारों, दिशानिर्देशों और मानकों का विकास, सुधार और अद्यतनीकरण ;

(xii) डीजीएमएस के भीतर "स्वच्छता अभियान" कार्यान्वित करना।

7. कारखानों सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली) संगठन और कारखानों, पत्तनों और गोदियों में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (ओएसएच) का सुदृढीकरण और विकास : इस योजना का उद्देश्य डीजीफासली संगठन में अवसंरचना सुविधाओं को देशभर के कारखानों, पत्तनों और गोदियों में कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य - स्थिति में सुधार करने हेतु सुदृढ़ करना है।

8. श्रम कल्याण योजना :

(क) **मकान:** बीड़ी / लौह अयस्क खान, मैग्निज अयस्क एवं क्रोम अयस्क खान (आईओएमसी) /चूना पत्थर खान, डोलोमाइट खान (एलएसडीएम) / अभ्रक खान और सिने कामगार को पक्के मकानों के निर्माण हेतु प्रति लाभार्थी 1,50,000/- रूपये की इमदाद 25 : 60 : 15 के अनुपात में (अर्थात 37,500 रूपये, 90,000 रूपये और 22,500 रूपये) तीन किश्तों में इमदाद प्रदान करने हेतु संशोधित एकीकृत आवास योजना (आरआईएचएस) 2016 को 22.03.2016 से आरंभ की गई थी। संशोधित एकीकृत आवास स्कीम (आरआईएचएस) का विलय शहरी विकास मंत्रालय (शहरी) की प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में करने का निर्णय लिया गया था।

(ख) **शिक्षा:** "बीड़ी/सिने / लौह, मैंग्नीज, क्रोम, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान कामगार के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता"योजना के अंतर्गत 250/-रुपये से लेकर 15000/-रुपये (कक्षा/पाठयक्रम के आधार पर) कीवित्तीय सहायता सीधा लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से अंतरित की जाती है।

(ग) **स्वास्थ्य:** इस स्कीम का मूल उद्देश्य और 50 लाख से अधिक गरीबों और अशिक्षित बीड़ी/सिने / लौह, मैंग्नीज, क्रोम/ चूना पत्थर एवं डोलोमाइ/अभ्रक खान कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य प्रदान करनाहैताकि इस वर्ग के कामगारों के निर्वाह स्तर को बढ़ाया जा सके। बीड़ी, सिने और गैर-कोयला खान कामगारों एवं उनके परिवार के सदस्यों को देश भर में स्थित 10 अस्पतालों तथा 286 औषधालयों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं दी जा रही हैं।

9. **कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995:** यह स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बनायी गई है। निम्नलिखित तीन स्कीमें भी इस अधिनियम के अंतर्गत बनायी गई है:

(i) कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (ईपीएफ)

(ii) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 (ईपीएस)

(iii) कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (ईडीएलआई)

(i) ईपीएफ स्कीम इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों की अनिवार्य बचत के लिए उपबंध करती है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रदत्त लाभों में सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या मृत्यु होने पर भविष्य निधि संचित राशि और इस पर ब्याज दिया जाता है। मकान बनाने, उच्च शिक्षा, विवाह, बीमारी आदि जैसे अवसरों पर आंशिक भविष्य निधि निकालने की अनुमति भी दी जाती है।

(ii) ईपीएस स्कीम में अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति अथवा अपंगता पर ईपीएफ स्कीम के सदस्यों के लिए मासिक पेंशन का उपबंध किया गया है। मासिक पेंशन मृतक सदस्य के आश्रितों यथा विधवा (विधुर), बच्चों, माता-पिता, नामित्ति को भी दी जाती है।

(iii) ईडीएलआई स्कीम में सेवा में रहते हुए ईपीएफ स्कीम के सदस्य की मृत्यु की दशा में बीमा लाभ का उपबंध किया गया है। इसमें 6 लाख रुपये तक का बीमा लाभ दिया जाता है।

10. असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा: इस स्कीम में असम में बागान कामगारों के लिए पारिवारिक पेंशन सह जीवन बीमा और असम में चाय बागानों के कामगारों के लिए निक्षेप संबद्ध बीमा योजना का उपबंध किया गया है। ये स्कीमें असम में चाय बागान

कामगारों के लिए असम राज्य सरकार के माध्यम से प्रशासित की जाती हैं जो असम चाय बागान भविष्य निधि और परिवार पेंशन एवं कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा अधिनियम द्वारा संचालित होती हैं और इनका प्रशासन असम राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस प्रावधान में इस स्कीम में केन्द्रीय सरकार के अंशदान के साथ-साथ प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

11. **श्रम एवं रोजगार सांख्यिकी प्रणाली: (एलईएसएस):** इसमें विभिन्न श्रम विषयों पर सांख्यिकी के संग्रहण एवं प्रकाशन, जांच करने और, सर्वेक्षण अनुसंधान अध्ययन करने का उपबंध किया गया है।

12. **प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई):** यह स्कीम 9 अगस्त, 2016 को शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार 15000/-रुपये प्रतिमाह कमाने वाले नए कर्मचारियों के लिए 3 वर्ष की अवधि हेतु कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) दोनों में नियोक्ता के पूरे अंशदान यथा 12 प्रतिशत का भुगतान कर रही है। इसस्कीम में दोहरा लाभ है, एक ओर नियोक्ताओं को प्रतिष्ठान में कामगारों के नियोजन आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और दूसरी ओर इन कामगारों की पहुंच संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक हो जाती है। पीएमपीआरवाई के अंतर्गत नियोक्ताओं के माध्यम से पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2019 थी।

13. राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) : इस स्कीम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपांतरण हेतु मिशन मोड परियोजना के रूप में किया जाता है। इसका उद्देश्य कैरियर परामर्श, रोजगारपरक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों पर सूचना, शिक्षुता, इंटर्नशिप **आदि जैसी** रोजगार संबंधी विभिन्न सेवाओं को प्रदान करना है। एनसीएस के अंतर्गत यह सेवाएं उपलब्ध हैं और इन तक सीधे, कैरियर केन्द्र, कॉमन सेवा केन्द्रों, डाक कार्यालयों मोबाइल उपकरणों, साइबर कैफों आदि के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। एनसीएस मंच पर विभिन्नहितधारकों में नौकरी चाहने वाले, उद्योग, नियोक्ता, रोजगार केन्द्र (कैरियर केन्द्र), प्रशिक्षण प्रदाता, शिक्षा संस्थान और प्लेसमेंट संगठन शामिल हैं।

14. दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्र(एनसीएससी-डीए): रोजगार महानिदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन देश में दिव्यांगों के लिए 21 राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्र (एनसीएससी-डीए) काम कर रहे हैं। ये केन्द्र दिव्यांगजनों की अवशिष्ट क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं और दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी)को रोजगारपरक प्रशिक्षण तथा रोजगारपरक पुनर्वास सहायता आदि प्रदान करते हैं। एनसीएससी-डीएलोकोमीटर, दृष्टि एवं श्रवण बाधित, कम मानसिक रोग से ग्रस्त तथा कोढ़मुक्त वर्ग में लिंग तथा शिक्षा को ध्यान में रखे बिना दिव्यांगों के लिए हैं।

15. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्र(एनसीएससी): इसस्कीम का कार्यान्वयन कोचिंग, रोजगारपरक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के नौकरी चाहने वालों के कल्याण के लिएकिया जाता है।

16. केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड (दत्तोपंथ ठेंगड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा एवं विकास बोर्ड): कामगारों के बीच जागरूकता पैदा करने और संगठित क्षेत्र सहित असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कामगार शिक्षा स्कीम एक छत्र स्कीम है। कामगार शिक्षा स्कीम में पूर्वोत्तर क्षेत्र, अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उपयोजना सहित लक्षित गतिविधियों पर अखिल भारतीय स्तर परध्यान केन्द्रण शामिल है।

17. असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय मंच का सृजन और आधार से जुड़ी पहचान संख्या: स्कीम के अंतर्गत असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाया जाता है और उसे सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी स्कीमों के लाभ देने के लिए आधार से जोड़ा जाएगा।

18. बेहतर सुलह निवारक मध्यस्थता, श्रम कानूनों के प्रवर्तन, मुख्य श्रमायुक्त के लिए मशीनरी: सौहार्द औद्योगिक संबंधों के संवर्धन, श्रम कानूनों के शीघ्र कार्यान्वयन पंचाट एवं करार,सार्वजनिक उपक्रमों में औद्योगिक संबंधों में सुधार हेतु अनुशासन संहिता, कार्मिक नीतियां एवं प्रथाओं आदि को तैयार करने के संबंध में हुए खर्च का प्रावधान करती है।

******

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2834

बुधवार, 18 मार्च, 2020/28 फाल्गुन, 1941 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज़ दर

2834. श्रीमती शांता क्षत्री:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019-20 में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर ब्याज दर में प्रस्तावित परिवर्तन क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय इस बात से अवगत है कि 8.65 प्रतिशत की विद्यमान दर को पहले ही कम माना जाता है और इसमें आगे और कमी सेवानिवृत्ति निधि निकाय के 6 करोड़ ग्राहकों को केवल हतोत्साहित ही करेगी;

(ग) क्या सरकार ब्याज़ दरों को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज की दर, केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के साथ परामर्श कर निर्धारित की जाती है। सीबीटी, ईपीएफ ने दिनांक 05.03.2020 को आयोजित अपनी 226वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रतिवर्ष 8.65 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर प्रतिवर्ष 8.50 प्रतिशत की दर करने की सिफारिश की है।

ईपीएफ पर ब्याज दर, ईपीएफ में कुल निवेश राशि पर संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष में ईपीएफ शेष पर ब्याज दर के निर्धारण करने में केंद्रीय सरकार स्वत: मानती है कि सदस्यों के खातों में जमा ब्याज के कारण हुए ऋण के परिणामस्वरूप ब्याज खाते पर कोई अतिदेय नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के पैरा 60(4) के अनुसार, विशेष वित्तीय वर्ष के लिए समस्त आय और ऋण के आधार पर ईपीएफ सदस्यों के खातों में ब्याज दर जमा की जाती है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2824

बुधवार, 18 मार्च, 2020/28 फाल्गुन, 1941 (शक)

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का
कार्यान्वयन

2824. श्री बी॰ लिंग्याह यादवः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रोजगार औपचारिकरण योजना, प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के कार्यान्वयन में अनियमितता पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसको लागू किए जाने से अब तक का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या इसमें भविष्य निधि का भी दुरुपयोग किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों सहित की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): भारत सरकार ने नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने और रोजगार को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से 09.08.2016 से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की थी। यह योजना "नए कर्मचारियों" हेतु 01.04.2016 को अथवा उसके उपरांत नई सार्वभौमिक लेखा संख्या (यूएएन) प्राप्त करने की दिनांक से उनके रोजगार के प्रथम तीन वर्षों हेतु था, बशर्ते कि वे किसी ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठान में रोजगार में रहे हों।

ईपीएफओ द्वारा आंतरिक रूप से किए गए समवर्ती लेखा-परीक्षा की सिफारिशों के आधार पर, पीएमआरपीवाई के तहत लाभार्थियों के संबंध में डी-डुप्लीकेशन की प्रक्रिया आरंभ की गई थी और यह पाया गया कि 79,342 प्रतिष्ठानों ने कुल 7,62,013 अयोग्य सदस्य लाभार्थियों के लिए पीएमआरपीवाई के तहत लगभग 285.27 करोड़ रुपये की राशि का लाभ प्राप्त किया था तथा ऐसे नियोक्ताओं से 23.01.2020 तक 307.60 करोड़ (ब्याज और क्षतिपूर्ति सहित) वसूला गया है।

(ग): प्रतिष्ठानों से वसूली कर्मचारियों के पीएफ लाभों को प्रभावित नहीं करती है क्योंकि उनके पीएफ लाभ नियोक्ताओं द्वारा ईपीएफओ के पास जमा किए जा चूके हैं। नियोक्ताओं ने राज-सहायता का जो लाभ उठाया है, केवल उसे ही इन नियोक्ताओं से अपात्रता के कारण वसूल किया गया है।

*****